A 6/1

[न्याया]लय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

पीठासीन अधिकारी– श्री अमानुल्लाह खान
आर.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
90 / प्रा.पत्र / 2019	09.10.2019	24.02.2021

श्री गिरिराज शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी –प्रार्थी

–बनाम–

1. श्री मनीष मालव पुत्र श्री दुर्गाशंकर मालव, विक्रेता एवं मालिक, मैसर्स श्री राधे किराना एण्ड आईसक्रीम कॉर्नर, अकतासा, जिला बून्दी। निवासी–अकतासा, जिला बून्दी।
2. श्रीमती सुशीला देवी, मालिक, मैसर्स सिदी ट्रेडिंग कम्पनी, जे 261 एच, रोड नं. 5, इन्द्रप्रस्थ इण्डस्ट्रीयल एरिया, कोटा–324005, राजस्थान।

–अप्रार्थी

जुर्म अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii)
खाद्‌य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से–श्री गिरिराज शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के स्थान पर
श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बून्दी
अप्रार्थी 1 व 2 स्वयं उपस्थित है।

–: निर्णय :–

श्री गिरिराज शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर न्याय निर्णयन हेतु प्रार्थना–पत्र में निम्नांकित बिन्दु अंकित किये हैः–

1. मैं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा हूँ मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच / पीएफए / नोटिफिकेशन / 2011 / 440 दिनांक 26.07.2011 एवं क्रमांक एच / पीएफए / नोटिफिकेशन / 2011 / 470 दिनांक 09.08.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियॉ प्रयुक्त करने के लिये अधिकृत किया गया है। श्रीमान आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर के आदेश एच / पीएफए / नोटिफिकेशन / 2011 / 775 दिनांक 10.08.2011 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र, जिला बून्दी आंवटित किया गया है और अधिसूचना क्रमांक एफएसएसए / नोटिफिकेशन / 2011 / 496 दिनांक 11.03.2012 के अनुसार बून्दी जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षैत्र मेरे कार्य क्षैत्र में आते है।
2. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 12.02.2019 को समय 11:15 ए.एम. पर नमूनीकरण एवं निरीक्षण हेतु अकतासा स्थित फर्म श्री राधे किराना एण्ड आईसक्रीम कॉर्नर पर पहुंचा। वहां पर श्री मनीष मालव पुत्र श्री दुर्गाशंकर मालव, विक्रेता एवं

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं

A6/2

फर्म के मालिक की हैसियत से उपस्थित थे। वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य लाईसेन्स/रजिस्ट्रेशन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जिसके उल्लेख मौका फर्द में हैं।

3. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि अन्य खाद्य पदार्थ सहित फर्म पर आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ बेसन, ब्राण्ड–आशीर्वाद गोल्ड, पौली पैकिंग प्रत्येक 1 किलोग्राम के 5 नग उपलब्ध थे। उक्त खाद्य पदार्थ बेसन, ब्राण्ड–आशीर्वाद गोल्ड में मिलावट व मिसब्राण्ड का शक होने पर अभियुक्त को फार्म नं. 05ए पर नमूना जांच हेतु लेने की लिखित सूचना देते हुये, पौली पैकिंग सहित ही बेसन, ब्राण्ड–आशीर्वाद गोल्ड, पौली पैकिंग, प्रत्येक 1 किलोग्राम के 4 पैकिंग नग, (4x1Kg) वास्ते जांच खरीदे। जिसकी कीमत विक्रेता को रू. 240/– नगद देकर रसीद प्राप्त की।

4. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर ही खरीदशुदा खाद्य पदार्थ बेसन, ब्राण्ड–आशीर्वाद गोल्ड, पौली पैकिंग प्रत्येक 1 किलोग्राम के 4 पैकिंग नगों को पौली पैकिंग सहित ही चार–चार बराबर भागों में (प्रत्येक भाग में एक नग) विभाजित किया। प्रत्येक भाग पर निर्धारित लेबल लगाये और लेबलों पर खाद्य पदार्थों का विवरण एवं डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक यू–1308 दर्ज किया तथा प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर दोनों किनारो को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. बून्दी डॉ गोकुल लाल मीणा द्वारा जारी एवं हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. यू–1308 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर चार–चार जगह नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। गवाहों एवं उन्होंने चारों नमूना भागों पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौके पर नियमानुसार कार्यवाही कर फर्द रिपोर्ट तैयार की और पढकर सुनाई जिसे समझकर विक्रेता एवं गवाहों ने हस्ताक्षर किये एवं मैंने भी हस्ताक्षर किये।

5. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुॅचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के आउटर कवर में मेरे द्वारा श्रीमान खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपडी से सील मोहर कर मेरे द्वारा श्रीमान खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं.–6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 06 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी. ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

6. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2019/81 दिनांक 29.03.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. 57/एफएसएसए/कोटा/एक्ट/2019/78 दिनांक 18.03.2019 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया बेसन, ब्राण्ड–आशीर्वाद गोल्ड, मिसब्राण्ड (Misbranded) पाया गया।

मेरे द्वारा नियमानुसार अनुसंधान की कार्यवाही के तहत खाद्य पदार्थ बेसन, ब्राण्ड–आशीर्वाद गोल्ड, मैसर्स श्री राधे किराना एण्ड आईसक्रीम कॉर्नर, अकतासा द्वारा मैसर्स सिदी ट्रेडिंग कम्पनी, जे 261 एच, रोड नं. 5, इन्द्रप्रस्थ इण्डस्ट्रीयल एरिया, कोटा–324005 (राज0) से बिल संख्या 0009604 दिनांक 15.01.2019 द्वारा क्रय करना बताया एवं खरीद बिल की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपी प्रस्तुत की। मैसर्स सिदी ट्रेडिंग कम्पनी, जे 261 एच, रोड नं. 5, इन्द्रप्रस्थ इण्डस्ट्रीयल एरिया, कोटा–324005 (राज0) द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार उक्त फर्म की मालिक श्रीमती सुशीला देवी है। अतः इस प्रकरण में श्रीमती सुशीला देवी, मालिक मैसर्स सिदी ट्रेडिंग कम्पनी, जे 261 एच, रोड नं. 5, इन्द्रप्रस्थ इण्डस्ट्रीयल एरिया, कोटा–324005 (राज0) को भी पक्षकार बनाया गया है तथा मैसर्स सिदी ट्रेडिंग कम्पनी, जे 261 एच, रोड नं. 5, इन्द्रप्रस्थ इण्डस्ट्रीयल एरिया, कोटा–324005 (राज0) ही विनिर्माता एवं पैकिंगकर्ता फर्म है।

8. मेरे द्वारा नियमानुसार अनुसंधान की कार्यवाही कर श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी को पत्रावली अभियोजन मंजूरी के लिये अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश की जिस पर श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी द्वारा पत्र क्रमांक एफएसएसए/2019/268 दिनांक 26.09.2019 के द्वारा खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ बेसन, ब्राण्ड–आशीर्वाद गोल्ड का विनिर्माण, भण्डारण एवं विक्रय कर धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन कर, धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित किया जावे।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत कर खाद्य पदार्थ बेसन, ब्राण्ड–आशीर्वाद गोल्ड मिसब्राण्ड पाये जाने का जुर्म स्वीकार किया गया। अप्रार्थी अपने उपर आरोपित जुर्म को लोक अदालत की भावना से सहानुभूतिपूर्व विचार कर निस्तारण करने की कृपा करे।

बहस प्रार्थी व अप्रार्थीगण समाअत की गई।

प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थी अपने मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ बेसन, ब्राण्ड–आशीर्वाद गोल्ड का विनिर्माण, भण्डारण एवं विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन एवं खाद्य रजिस्ट्रेशन/लाईसेन्स के खाद्य पदार्थ विक्रय कर धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माना आरोपित किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 ने बवक्त दोहराने बहस जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये व्यक्त किया कि खाद्य पदार्थ बेसन, ब्राण्ड–आशीर्वाद गोल्ड मिसब्राण्ड पाये जाने का जुर्म स्वीकार किया गया। अप्रार्थी अपने उपर आरोपित जुर्म को लोक अदालत की भावना से सहानुभूतिपूर्व विचार कर निस्तारण करने का निवेदन किया।

हमने बहस प्रार्थी व अप्रार्थी के वकील पर मनन किया जाकर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अद्योपान्त अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध सभी दस्तावेजात निर्धारित प्रपत्र में व समय अवधि में नियमानुसार है। अप्रार्थी संख्या 1 श्री मनीष मालव के प्रतिष्ठान से प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खाद्य पदार्थ बेसन, ब्राण्ड–आशीर्वाद गोल्ड खाद्य

...क, कोटा की जांच रिपोर्ट में मिसब्राण्ड घोषित किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 श्री ...ाष मालव ने अपने प्रतिष्ठान पर मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ बेसन, ब्राण्ड–आशीर्वाद गोल्ड का खाद्य लाईसेन्स/रजिस्ट्रेशन के खाद्य पदार्थ का भण्डारण एवं विक्रय कर धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन कर आम जनता को विक्रय कर उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड कर रहा है जिसके लिए अप्रार्थी दोषी है। अप्रार्थी संख्या 2 श्रीमती सुशीला देवी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ बेसन, ब्राण्ड–आशीर्वाद गोल्ड की आपूर्ति की गई है। जिसके लिए अप्रार्थी संख्या 2 दोषी है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का कृत्य दोषसिद्व होने से खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अप्रार्थी संख्या 1 को 15,000/– (अक्षरे–पन्द्रह हजार रूपये) एवं अप्रार्थी संख्या 2 को 35,000/– (अक्षरे–पैंतीस हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी जरिये डी.डी. या सम्बन्धित मद में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमानुल्लाह खान, RAS)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी
बून्दी (राज०)